Association and the Officers. Conciliation proceedings have been in progress and several meetings have taken place between representatives of the Unions and of the Government of India.

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में अधिकारियों का स्थानांतरण

- 115. श्री ईशा दत्त यादवः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण नियमानुसार समय पर नहीं किये जाते हैं;
- (ख) यदि हां, तो इन बैंकों के प्रधान कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों में पिछले पांच से दस वर्षों या इससे अधिक अवधि से कार्यरत अधिकारियों का बैंक-वार ख्यौरा क्या है;
- (ग) इन अधिकारियों का स्थानांतरण न कि जाने के क्या कारण हैं: और
- (घ) क्या सरकार स्थानांतरण नीति का कठोरता से पालन कराने के संबंध में कोई निर्देश देने पर विचार करेगी: यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबी प्रसाद पाल): (क) से (घ) सामान्यतः स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनुषंगी बैंकों में कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण बैंकों की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जाता है। परन्तु, अपवादात्मक, मामलों में, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर कुछ अधिकारियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उनकी नियुक्ति के स्थान पर बनाये रखा जाता है। पिछले 5 से 10 वर्षों में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनुषंगी बैंकों के मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों के बैंक-वार ब्यौरों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Fifth Pay Commission

116. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Fifth Pay Commission has submitted its final report to Government.
- (b) if not reason for delay in submitting the report.
- (c) whether Government propose to give another instalment of interim relief to Government staff and pensioners; and
- (d) if not, whether Government propose to direct the Pay Commission to submit its report soon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a), (b) and (d) The Commission has not yet submitted its final report. In accordance with the terms of reference the Commission are required to submit their report as soon as feasible. Further, it is not customary to issue any directives to the Commission to submit their report by a specific date.

(c) There is no proposal under consideration of the Government to allow another instalment of interim relief to Government staff/pensioners.

मध्य प्रदेश में विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाने की योजना

- 117. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मध्य प्रदेश में वर्तमान विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाने तथा उनका विस्तार करने की कोई योजना है;
- (ख) क्या सरकार भोपाल और इन्दौर विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा देने का विचार रखती है;
 - (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य में कोई नया विमानपत्तन बनाने का विचार रखता है; और
- (ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री'(श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण